प्रेषक,

दीपक त्रिवेदी,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0 प्र0 लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 लखनऊ::दिनांक 29 दिसम्बर,2016

विषय:-**प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के सफल संचालन के सम्बंध में कार्यवाही** ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1458/वि0का0/2016 दिनांक 01.12.2016 एवं समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को सम्बोधित पत्र संख्या1409/वि0का0/प्र0 मं0आ0यो0-ग्रामीण/2016(6) दिनांक 24 नवम्बर,2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के सफल संचालन हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या- M-12018/3/2014-RH(A/C), दिनांक-12.11.201 में वर्तमान निर्देशों के अनुसार उपर्युक्त व्यवस्था में संशोधन किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- उक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के सफल संचालन हेतु भारत सरकार के वर्तमान निर्देशों के अनुसार निम्न कार्यवाही किये जाने का निर्णय शासन स्तर पर लिया गया है:-

(1) **<u>आवास स्वीकृति के समय प्रथम किश्त की अवमुक्ति:-</u>**

आवास की वर्तमान लागत के अनुसार सामान्य क्षेत्रों के लिए **रू 40,000.00 तथा** नक्सल प्रभावित जनपद मीरजापुर, सोनभद्र एवं चन्दौली हेतु **रू0 44,000.00** की धनराशि आवास की स्वीकृति के तत्काल पश्चात अवमुक्त की जायेगी।

(2) **<u>आवास का निर्माण प्लिंथ लेवल (Plinth Level) पर होने के पश्चात द्वितीय किश्त की अवमुक्ति:-</u>**

आवास की वर्तमान लागत के अनुसार सामान्य क्षेत्रों के लिए **रू 40,000.00 तथा** नक्सल प्रभावित जनपद जनपद मीरजापुर, सोनभद्र एवं चन्दौली हेतु **रू0 43,000.00** की जायेगी। धनराशि द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) **<u>आवास का निर्माण रूफकास्ट लेवल(Roofcast level) तक होने के पश्चात तृतीय किश्त की अवमुक्ति:-</u>**

आवास की वर्तमान लागत के अनुसार सामान्य क्षेत्रों के लिए **रू 40,000.00 तथा** नक्सल प्रभावित जनपद मीरजापुर, सोनभद्र एवं चन्दौली हेतु **रू0 43,000.00** की धनराशि तृतीय किश्त के रूप में अवमुक्त की जायेगी।

4- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के संचालन हेतु लाभार्थियों को जागरूक करने तथा वित्तीय वर्ष में किये जाने वाले क्रियाकलापों के संबंध में जानकारी प्रदान करने हेतु जनपद स्तर पर प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल से 15 मई के मध्य अपनी सुविधानुसार "**आवास दिवस**" का आयोजन सुनिश्चित कराया जाय ।

भवदीय,

(दीपक त्रिवेदी)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-56/2016/1758(1)/38-4-2016, तद्दिनांक।</u>

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- उप सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली को उनके पत्र संख्या- M-12018/3/2014-RH(A/C), दिनांक-12.11.201 के संदर्भ में।
2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त मुख्य विकास अधिकारी/समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रभात कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।